M-579
Appeal

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी
Appellate Authority under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

Ref: C/CP/AA/RTI Act, 2005/2017 **Date: 11th Nov'19**

Sub: Information Regarding **RTI Postal Appeal No 26 from Sh. Anil Kumar dated 30th Oct'19.**

Please find attached herewith **RTI Postal Appeal No 26** dated **30th Oct'19** from Sh. Anil Kumar **S/o Sh. Sheel Chand tyagi, Village and PO - Khayikheri, Muzafarnagar, Uttar Pradesh, 251310**, seeking information under RTI Act, 2005.

In order to apprise the Appellate Authority for disposing the subject RTI appeal, it is requested to arrange to provide the information sought by the applicant latest by 15th November'2019 **.**

विकास

(Vikas Narwal)
Appellate Cell

To: **Sh. Jasbir Singh,**
Central Public Information officer (CPIO),
Power Grid Corporation of India Limited,
Saudamini, Plot No. 2, Sector-29, Gurugram

First Appeal No-26

दिनाँक- 30.10.2019

-सेवा में,

- कार्यपालक निदेशक (सी.एम.जी.) एवँ अपील प्राधिकारी-,
केन्द्रीय कार्यालय, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नं.-2-, सेक्टर-29-,
गुड़गाँव-122001-(-हरियाणा-).

-विषयः- कर्मचारी-पेंशन-योजना-1995 (ई.पी.एस.-1995) के तहत प्राप्त होने वाली पेंशन के सम्बन्ध में-।

महोदय,

-'कर्मचारी-पेंशन-योजना-1995' के बारे में प्रार्थी द्वारा 'सूचना के अधिकार' के माध्यम से की गई शिकायत के उत्तर में दिनाँक-16.10.2019 को आपके विभाग द्वारा प्रेषित पत्र सं०-PGCIL/R/2019/M-51-a-प्रार्थी को 23.10.2019 को प्राप्त हुआ (-अनुलग्नक-I- सहित पत्र की प्रतिलिपि सँलग्न है-)। किन्तु इस पत्र में एक बात की जानकारी अभी भी अधूरी, अस्पष्ट एवँ अपूर्ण है। यथा,-

-उक्त पत्र के अनुलग्नक-I- में दिये गये जवाब-1- में दर्शित, प्रार्थी द्वारा आपको भेजे गये मूल शपथ-पत्र (-एफिडेविट-सह-इंडेमनिटी बॉड-) को आपके विभाग द्वारा दिनाँक-30.04.2018 को 'कर्मचारी भविष्य-निधि सँगठन कार्यालय, दिल्ली' को आपके किस पत्राँक अथवा सँदर्भ सँख्या के द्वारा भेजा गया था ?? बस, कृपया यह बताने का कष्ट करें। अति अनुकम्पा होगी। -धन्यवाद-।

- पत्रोत्तर का आकाँक्षी-। आपका,- -प्रार्थी-,

-सँलग्नकः-
- उपर्युक्तानुसार-

(-अनिल कुमार-).
-भूतपूर्व कर्मचारी-,
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि०
कर्मचारी सँख्या- 10309-.

-पताः-
-अनिल कुमार-,
पुत्र-श्री शीलचन्द त्यागी,
ग्राम व डाक०- खाईखेड़ी (-KHAI KHERI-)
जिला- मुज़फ़्फ़र नगर (उ०प्र०),
पिन- 251310-.

(M- 8006107577-)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/2019/M-51a

दिनांक: 16 October, 2019

Shri Anil Kumar,
Anil Kumar, S/o Shri Sheelchand Tyagi, Village & Post - Khayikheri, District - Muzafarnagar - Uttar Pradesh - 251310

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 3 October, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-I मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसबीर सिंह) 16/10/19
वरिष्ठ महाप्रबंधक(के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी
Email id:

अनुलग्नक - I

विषय: आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति : अपेक्षितकर्ता श्री अनिल कुमार।

सूचना निवेदक – श्री अनिल कुमार।

सवाल 1. **तमाम** औपचारिकताएं निर्देशानुसार पूरी कर देने के बावजूद श्री आज तक भी उनका का पेंशन किस कारण से आरम्भ नहीं हो सकी. प्रार्थी यह जानना चाहता है।

जवाब : श्री अनिल कुमार के पेंशन दावा दिनांक 06.02.2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ऑफिस में भेजा गया था, जो कि 28.02.2018 को मूल पेंशन स्कीम प्रमाणपत्र संलग्न ना होने के कारण अस्वीकार हो गया था। अतः दिनांक 18.04.2018 को श्री अनिल कुमार जी को मूल पेंशन स्कीम प्रमाणपत्र या शपथ पत्र (एफिडेविट सह इंडेमनीटी बांड) भेजने के लिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात, श्री अनिल कुमार के द्वारा भेजा गया मूल शपथ पत्र (एफिडेविट सह इंडेमनीटी) बांड दिनांक 30.04.2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली में स्थित कार्यालय में भेजा गया है ताकि उनकी पेंशन शुरु हो सके।

सवाल 2. और यह पेंशन कब तक मिल, या चालू हो सकेगा ?

जवाब : यह पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत (ई.पी.एफ.ओ) के कार्यालय, ईपीएफओ कोम्पलेक्स, प्लॉट नंबर: 23, सेक्टर -23, द्वारका, नई दिल्ली से ही दिआ जाना है। इस संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज ई.पी.एफ.ओ कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। अतः यह तात्कालिक मामला के पेंशन संबंधित आगे की जानकारी ई.पी.एफ.ओ कार्यालय से प्राप्त कि जा सकती है।

रमेश पाल सिंह
16/10/2019